न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

प्रार्थना पत्र स0:–148/2025 पीठासीन अधिकारी–ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

राज्य सरकार जरिये, गिरधारी लाल गुर्जर, कृषि अधिकारी, कोटपूतली

––प्रार्थी

बनाम

श्री राजेश गुर्जर पुत्र श्री रामजीलाल गुर्जर ग्राम लादुवास मालेरा, तह0 नारायणपुर, जिला कोटपूतली–बहरोड़

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (डी) अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से रखे यूरिया के 55 बैग एवं एनपीके के 13 बैग को जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात कराने बाबत।

उपस्थितः–

1. पैरोकर कृषि अधिकारी प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 29/7/26

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मैं गिरधारी लाल गुर्जर, को राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप–1) विभाग के आदेश कमांक प.1(21) कृषि–1/2023 दिनांक 29.09.2023 के द्वारा कृषि अधिकारी (सामा) पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) जि0 प0 कोटपूतली–बहरोड़ में पदस्थापन किया गया है एवं राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्या प.12(8) कृषि–1/इनपुट/2024 दिनांक 29 मई, 2025 द्वारा उर्वरक निरीक्षक घोषित किया गया है।
2. अधोहस्ताक्षकर्ता दिनांक 11.07.2025 को सहायक कृषि अधिकारी मु0 नारायणपुर से दूरभाष पर अवैध उर्वरक भण्डारण के क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर पता–नारायणपुर अवैध गोदाम पर मध्याहन 12:05 बजे पहुंचा। निरीक्षण के दौरान मेरे साथ कृषि अधिकारी श्री लक्ष्मण गुवारिया, कृषि अधिकारी श्री यादराम गुर्जर सहायक कृषि अधिकारी मु0 नारायणपुर एवं कृषि पर्यवेक्षक मु0 नारायणपुर उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित गोदाम मालिक श्री राजेश गुर्जर पुत्र श्री रामजीलाल गुर्जर ग्राम लादुवास मालेरा नारायणपुर मौके पर उर्वरक यूरिया के 55 बैग एवं एनपीके के 13 बैग पाये गये। पूछने पर कोई दस्तावेज जैसे खरीद बिल, स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करा पाया। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लघंन एवं दण्डनीय अपराध है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार दुकान मालिक श्री राजेश गुर्जर पुत्र श्री रामजीलाल गुर्जर के समक्ष दो नमूने आहरण किये गये।
3. इसके पश्चात् मेरे द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1)(d) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11.07.2025 को समय सायं 04:30 बजे स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उपरोक्त माल की जब्तीकरण कर बास वैरिसाल जीएसएस नारायणपुर के व्यवस्थापक श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री हरिप्रसाद शर्मा को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद ली गई। उपरोक्त समस्त कार्यवाही दोपहर 12.05 बजे से साय 04:30 बजे तक की गई। जब्त किये गये प्रोडक्ट का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.स	नाम	मात्रा
1	Neem Coated Urea	55 bags X 45 Kg

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

2	NPK (20:20:0:13)	13 bags X 50 kg

साथ ही संबंधित थाना नारायणपुर में आज दिनांक 14.07.2025 को एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। जिसका एफआईआर क्रमांक 0182 है।

4. अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1)(d) के तहत जब्त किये गये उर्वरक की सूचना श्रीमान को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्धारित प्रपत्र में सादर प्रेषित है।
5. प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैराकार ने जब्त अवैध रूप से रखे उर्वरक यूरिया के 55 बैग एवं एनपीके के 13 बैग उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (डी) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान किये गये। अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया बाद तामिल अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल बंसल उपस्थित आकर वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता को जबाब हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाब पेश नहीं किया ना ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।
6. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित कृषि अधिकारी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा बिना लाइसेंस एवं वैधानिक दस्तावेजों के भारी मात्रा में उर्वरक का भंडारण कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 7 का उल्लंघन किया है, जो धारा 3/7 ई.सी. एक्ट के तहत दंडनीय है तथा राज्य उर्वरक प्रयोगशाला सीकर द्वारा जब्तशुदा यूरिया का सैम्पल का पास हो चुका है अतः जब्त माल को राजसात कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराने का आदेश फरमावें।
7. पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध फर्द जाप्ता तलाशी, मौका नक्शा एवं मौका पर्चा, फर्द जब्ती, व अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी सरकार पैरोकार के आरोप एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार श्री राजेश गुर्जर पुत्र श्री रामजीलाल ग्राम लादुवास मालेरा, नारायणपुर द्वारा अवैध रूप से उर्वरक भंडारण कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। चूंकि उर्वरक एक आवश्यक, समयबद्ध उपयोग एवं बारिस में खराब होने वाली वस्तु है तथा भण्डारण गोदाम में काफी समय तक रहता है तो खराब होने की संभावना है। अतः जब्तशुदा यूरिया को राजसात किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 55 बैग नीम कोटेड यूरिया (प्रति बैग 45 किग्रा) एवं 13 बैग एनपीके (प्रति बैग 50 किग्रा) को राजसात किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) एवं जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब्त उर्वरक का नियमानुसार उचित मूल्य पर निस्तारण/विक्रय करवाकर प्राप्त राशि को राजकोष के निर्धारित मद में जमा कराकर पालना सुनिश्चित करें।
9. निर्णय की प्रति संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), कोटपूतली–बहरोड़ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 29/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)